૨૦/૫ ઉપરાંત વકીલશ્રીની પ્રાર્થનાપત્ર પુરશીશ
મળ્યા / વિચારતા અરજદારની વિનંતી નિર્ણયમાં
કે વિચારણામાં લેવાની નિકાલ કરવા
અરજદારની અરજી નિકાલ કરી

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर
(पीठासीन अधिकारी नारायण सिंह आर.ए.एस)

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
पत्र	18.06.08	20.04.09
2/84		

1. सुब्बा पुत्र धीसा मेव निवासी रायबका तह. अलवर।

बनाम

प्रार्थी

1. मम्मन पुत्र रहमत
2. नसीर पुत्र रहमत
3. सलेही पुत्र रहमत
4. जन्नी पुत्री रहमत
5. फजरी पुत्री रहमत
6. अत्ती पुत्री रहमत जातियान मव निवासीयान रायबका तह. अलवर।

अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री विश्म्बर दयाल गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी:—कु0 सुषमा शर्मा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1218 मि. रकबा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1891 रकबा 0ऐयर,1893 रकबा 8ऐयर, 1894 रकबा 8ऐयर,साबिक खसरानम्बर 1292 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नमबर 1843 रकबा 7ऐयर,1844 रकबा 3ऐयर कायम हुये वाके रायबका स्थित है जो विवादित भूमि है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता रहमत पुत्र सुरजमल की खातेदारी की भूमि थी। मिन वादी ने प्रतिवादीगण के पिता रहमत पुत्र सूरजमल कौम मेव से उसके जीवनकाल में ही विवादित आराजी कोतयशुदा सम्पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुये जर्ये बयनामा दिनांक 20.05.1985 तस्दीक दिनांक 21.05.1985 को खरीद की व विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त किया। बाद खरीद से विवादित राजी पर मिन वादी बतौरखातेदार काश्तकार के तन्हा मालिक काबिज़ चला आरहा हैं वादी के द्वारा उसी वक्त विवादित आराजी की बाबत जर्ये बयनामा इन्तकाल बैय अपने नाम चढवाने हतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच व राजस्व अधिकारियो को सूचित कर दिया था । उस वक्त मिन वादी को संबधित राजस्व अधिकारी ने आश्वत किया गया कि वो उसके नाम इन्तकाल बैय चढ जावेगा इस पर वह निश्चित हो गया। हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 एव उसके बाद कायम शुदा जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के पिता ने अपने नाम का इन्द्राज मिन वादी के पक्ष में बैय करने के बाद भी करा लिया। रहमत के देहान्त के बाद विरासत का इन्तकाल प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाकर अमल दरामद किया। जबकि मिन प्रार्थी ने विवादित आराजी को रहमत खातेदार से क्रय की थी है। यह इन्द्राज प्रार्थी के खिलाु एव काबिल दुरूस्ती हैं उक्त गलत इन्द्राज मिन वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर एवं शुन्य प्रभावी हैं कार्यवाही होने पर प्रतिवादीगण से उक्त इन्द्राज दुरूस्त कराने को कहा तो

के द्वारा इन्कार कर दिया। साथ ही धमकी दी कि विवादित आराजी हमारे पर है हम आराजी को किसी दीगर शख्स को रहन बैय हिबा करेगे व से लॉन आदि लेगे। वाद के निस्तारण में समय लगेगा दौराने दावा वादीगण ने गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को मुन्तिकल दिया या जबरन कब्जा कर लिया तो वादी को भारी नापूर्ति होने वाली होगी। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन वादी कके पक्ष में साबित अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाव। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की से जबाब पेश करने पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान वक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा कय की गई हैं। प्रतिफल या जाकर मौके पर कबजा लिया गया है। वक्त खरीद से हम विवादित राजी पर काबिज चले आरहे हे। बन्दोबस्त के दौरान पूर्व खातेदार रहमत ने जानते हुये कि उसके द्वारा भूमि का बेचान किया गया है और कब्जा भी दे गया अपने नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल करा लिया। जिस गलत द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण जिनकी विरासत का इन्तकाल दर्ज हो गया यह भूमि दीगर व्यक्तियो को बेचान करने में लगे हुये है। जबरन कब्जा ने तथा लोन बैक से लेना चाहते हैं। जबकि मौके पर विवादित आराजी पर ारा कबजा काश्त हैं। सुविधा का सन्तुलन , प्राईमाफेसी केस तथा नापूर्ति ने हमारे पक्ष में साबित हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तेवादीगण/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि विवादित राजी का खातेदार रहमत था। जिसकी विरासत हमारे नाम स्वीकार की गई हमारे पिता द्वारा विवादित आराजी को कभी बेचान नही किया। यदि उनके ा कोई इकरारनामा/बयनामा कराया है तो वह फर्जी है। जो काबिल स्त है। जब हमारे पिता द्वारा भूमि का बेचान ही नही किया तो कब्जा दिये ने तथा जबरन कब्जा किय जाने का प्रश्न ही नही होता हैं।यदि इनके द्वारा 86 को यहभूमि कय की गई थी तो अब तक इनके द्वारा बयनामा के आधार अपने नाम का इन्द्राज क्योकर नही कराया गया। रहमत द्वारा विवादित राजी का बेचान वादी के हक में कभी नही यिका गया । वादी द्वारा यदि ई बैयनामा पेश किया गया है तो वह फर्जी बैयनामा हैं जिसके आधार पर ी को किसी भी प्रकार के हकूक खातेदारी हांसिल नही होते है। प्रार्थी ादित आराजी से गैरकाबिज वो गैरवास्ता शख्स है और हम प्रतिवादीगण वादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं राजस्थान काश्तकारी धिनियम के प्रावधानो के अनुसार गेरकाबिज वो गैरवास्ता शख्स के पक्षमें वो र्डेड खातेदार कातश्कार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित किया जासकता हैं। अतः प्राथना पत्र खारिज किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 212 के निर्णय में सी केस, सुविधा का सन्तुलन तथा नापूर्ति हानि किसके पक्ष में साबित

…की देखना होता हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि …वादित आराजी उसके द्वारा अप्रार्थीगण के पिता से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा …क्रय की गई है। प्रतिफल अदा कर मौके पर कब्जा काश्त वक्त खरीद से …आरहा है। हमने प्रार्थना पत्र में संलग्न बयनामा की छाया प्रति का …लोकन किया। जिसमें अप्रार्थीगण के पिता जो कि विवादित आराजी का …तेदार काश्तकार था द्वारा प्रार्थी को विवादित भूमि खसरानम्बर 1218,1292 … बेचान किया जाना पाया जाता है। साथ ही प्रतिफल लिया जाकर कब्जा …जाना भी अकित किया गया हैं जिससे प्रार्थी प्रथम द्रष्टया प्राइमाफेसी …साबित होता है। जब प्रार्थी के पक्ष में प्राइमाफेसी केस साबित है तो …विधा का सन्तुलन भी उसके पक्ष में साबित होता है। यदि प्रार्थी दौराने वाद …वादित आराजी से राजस्व रिकार्ड के हाल इन्द्राज के आधार पर जबरन …खल कर दिया जावेगा तो प्रार्थी को नापूर्ति हानि होना साबित है। …प्रार्थीगण के अधिवक्ता का मात्र यह कह देना कि उनके पिता द्वारा कोई …नही किया तथा बयनामा फर्जी है, उचित नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला …अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की खरीदशुदा …राजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 5 ऐयर,1893 रकबा 8ऐयर,1894 रकबा …यर, एवं 1843 रकबा 7ऐयर,1844 रकबा 3ऐयर वाके रायबका पर प्रार्थी के …जे काश्त कुल कार्य में रूकावट एवं मजामहत ना करे, जबरन कब्जा ना … तथा रहन,बैय,हिबा द्वारा दीगर व्यक्तियो को मुन्तिकल ना करे।

…ज यह निर्णय दिनांक 20.04.09 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
अलवर।